संस्कृति विभाग

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

नई दिल्ली, 17 जून, 1977

का० आ० 2210— केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र भाग 2, खण्ड 3 उपखण्ड (ii), तारीख 27 नवम्बर, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग की अधिसूचना सं० का०आ०-4513, तारीख 8 नवम्बर, 1976 द्वारा उक्त अधिसूचना की अनुसूची में वर्णित कतिपय संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और अधिसूचना की एक प्रति प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (i) की अपेक्षानुसार उक्त प्राचीन संस्मारकों के निकट सहज दृश्य स्थान पर लगा दी गई थी ;

और उक्त राजपत्र जनता को 29 नवम्बर, 1976 को उपलब्ध करा दिया गया था;

और जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है ।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	परिक्षेत्र	संस्मारक का नाम	राजस्व भूखंड संख्याएं, जिन्हें संरक्षण में लिये जाने की प्रस्थापना है	क्षेत्र	सीमाएं	स्वामित्व	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	रायसेन	रायसेन	अूरेलबुर्द	नीचे दिये गये स्थल रेखांक में यथा दर्शित बौद्ध स्तूप, जिसके साथ सर्वेक्षण प्लाट सं० 29, तथा 30, 34, 35 और 36 के भाग के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र हैं ।	नीचे दिये गये स्थल रेखांक में यथा दर्शित सर्वेक्षण प्लाट सं० 29, सर्वेक्षण प्लाट सं० 30, 34 35 और 36 के भाग	164.00 एकड़	उत्तर : सर्वेक्षण प्लाट सं० 30, 34, 35 का शेष भाग। पूर्व : सर्वेक्षण प्लाट सं० 35 और 36 का शेष भाग । दक्षिण : सर्वेक्षण प्लाट सं० 36 का शेष भाग और सर्वेक्षण प्लाट सं० 26, पश्चिम : सवक्षण प्लाट सं० 27 और 28	वन विभाग, मध्य प्रदेश सरकार	अनुसूची में दी गई सर्वेक्षण प्लाट संख्याएं, वन सर्वेक्षण मान चित्र के अनुसार है ।

[सं० 2/22/72-एम०]

DEPARTMENT OF CULTURE

(Archaeological Survey of India)

New Delhi, the 17th June, 1977

S. O. 2210— Whereas by the notification of the Government of India, in the Department of Culture No. S.O. 4513, dated the 8th November, 1976 published in Part II, section 3, sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 27th November, 1976, the Central Government gave two months notice of its intention to declare certain ancient monuments specified in the said notification to be of national importance, and a copy of the said notification was affixed in a conspicuous place near the said ancient monuments as required by sub-section (1) of section 4 of the Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958);

And whereas the said Gazette was made available to the public on the 29th November, 1976.

And whereas no objections have been received from the public, ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the ancient monuments, specified in the Schedule below to be of national importance.

P-141

138

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of the Monument	Revenue plot numbers proposed to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remakrs
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Madhya Pradesh	Raisen	Raisen	Murel Khurd	Buddhist stupas together with the area comprised in Survey plot number 29, parts of 30 34, 35 and36 as shown in the site plan reproduced below.	Survey plot number 29, parts of Survey plot number 30, 34, 35 and 36 as shown in the site plan reporduced below	164.00 acres	North : remaining portion of Survey plot number 30, 34 and 35; East: Remaining portion of Survey plot numbers 35 & 36. South: Remaining portion of survey plot nurber 36 and survey plot No. 26. West: Survey plot numbers 27 & 28.	Forest Department, Madhya Pradesh Government.	The Survey plot numbers given in the schedule are as per Forest Survey Map.

[No. 2/22/72-M]

(पुरातत्व)

का० आ० 2211—केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 4 सितम्बर, 1976 में प्रकाशित भारत सरकार के संस्कृति विभाग की अधिसूचना संख्या का०आ० 4612, तारीख 2 नवम्बर, 1976 द्वारा उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट कतिपय संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करने के अपने आशय की दो मास की सूचना दी थी और उक्त अधिसूचना की एक प्रति प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 (1958 का 24) की धारा 4 की उपधारा (i) की अपेक्षानुसार उक्त प्राचीन संस्मारकों के निकट सहजदृश्य स्थान पर लगा दी गयी थी ;

और उक्त राजपत्र जनता को 7 दिसम्बर, 1976 को उपलब्ध करा दिया गया था ;

और जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे की अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन संस्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करती है ।

अनुसूची

राज्य	जिला	तहसील	इलाका	संस्मारक का नाम	संरक्षण में लिये जाने वाले राजस्व प्लाट की संख्या	क्षेत्र	सीमा	स्वामित्व	टिप्पण
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मध्य प्रदेश	रायसेन	रायसेन	बाबलिया और हकीम खेड़ी	नीचे पुनः उद्धत स्थल रेखांक में यथादर्शित बौद्ध स्तूप और अवशेष जिसमें बाबलिया गांव के सर्वेक्षण प्लाट सं० 152 और 153 के भागों में और हकीम खेड़ी गांव के सर्वेक्षण प्लाट सं० 42, 43, 44 और 45 के भागों में समाविष्ट उसके पार्श्ववर्ती क्षेत्र सम्मिलित है ।	नीचे पुनः उद्धत स्थल रेखांक में यथादर्शित बाबलिया ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 152 और 153 के भाग और हकीम खेड़ी ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 42, 43, 44 और 45 के भाग ।	45.50 एकड़ (18.4) हैक्टेयर	उत्तर : बाबलिया ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट संख्या 152 का अवशिष्ट भाग पूर्व : बाबलिया ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 152 और 153 और हकीम खेड़ी ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट सं० 45 के अवशिष्ट भाग । दक्षिण : हकीम खेड़ी ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट संख्या 44 और 42 के अवशिष्ट भाग, पश्चिम : हकीम खेड़ी ग्राम के सर्वेक्षण प्लाट संख्या 42 और 43 के अवशिष्ट भाग और पाड़रिया और कारहीड़ ग्रामों की सीमाएं ।	वन विभाग	—

[सं० 2/23/72-एम०]

म०न० देशपांडे, महानिदेशक और पदेन संयुक्त सचिव

139

P-142

(ARCHAEOLOGY)

S. O. 2211—Whereas by the notification of the Government of India in the Department of Culture No. S.O. 4612, dated the 2nd November 1976, published in part II, Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India, dated the 4th December, 1976, the Central Government gave two months notice of its intention to declare certain monuments specified in the said notification to be of national importance, and a copy of the said notification was affixed in a conspicious place near the said ancient monuments as required by Sub-section (1) of Section 4 of the Ancient monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1958 (24 of 1958).

And, whereas the said Gazette made available to the public on 7th December, 1976.

And whereas no objections have been received from the public;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 4 of the said Act, the Central Government hereby declares the ancient monuments specified in the schedule below to be of national importance.

SCHEDULE

State	District	Tehsil	Locality	Name of monument	Revenue plot No. to be included under protection	Area	Boundaries	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Madhya Pradesh	Raisen	Raisen	Bawalia & Hakeemkhedi	Buddhist stupas and remains together with the adjacent area comprised in parts of Survey plot Nos. 152 & 153 of Bawalia village and parts of survey plot Nos. 42, 43, 44 & 45 of of Hakeemkhedi village as shown in the site plan reproduced below.	Parts of survey plot Nos. 152 & 153 of Bawalia village and parts of survey plot Nos. 42, 43, 44 & 45 of Hakeem khedi village as shown in the site plan reproduced below	45.50 acres (18.41) Hectares.	North : Remaining part of survey plot No. 152 of Bawalia village East : Remaining Parts of Survey plot Nos. 152 & 153 of Bawalia village and part of survey plot No. 45 of Hakeemkhedi village South : Remaining parts of survey plot Nos. 44 and 42 of Hakeemkhedi village West : Remaining Parts of Survey plot Nos. 42 & 43 of Hakeem khedi village and village boundary of Padariya and Karhod villages.	Forest Department.	

[No. 2/23/72-M]

M. N. DESHPANDE, Director General and Ex-officio J. Secy.

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

नई दिल्ली, 17 जून, 1977

का० आ० 2212—श्री एम० आर० आयाची को, भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) की अधिसूचना सं० का०आ० 2100, तारीख 21 जून, 1975 द्वारा स्थापित काण्डला डाक श्रम बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की राय में यह वांछनीय नहीं है कि वह उक्त बोर्ड के सदस्य के रूप में बने रहें;

और डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) नियम, 1962 के नियम 4 के उपनियम (5) के खंड (vi) के अधीन यह समझा जायेगा कि उन्होंने अपना पद रिक्त कर दिया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पूर्वोक्त नियम 4 के उपबन्धों के अनुसरण में, इस प्रकार हुई रिक्ति को अधिसूचित करती है ।

[सं० एल०डी० के०/2/77]

के० एल० गुप्ता, उप-सचिव

140

P-143